

78

बिहार सरकार  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आदेश

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में वर्ष 2015 में निम्न प्रकार अवकाश घोषित किया जाता है।

1. बिहार सरकार द्वारा घोषित अवकाश का अनुपालन किया जायेगा।
2. होली/ग्रीष्मावकाश/दशहरा/दिवाली/छठ आदि में निम्न प्रकार अवकाश देय

होगा:-

(क) होली	दिनांक-04.03.2015 से 10.03.2015 तक	सात दिन
(ख) ग्रीष्मावकाश	दिनांक-08.06.2015 से 28.06.2015 तक	इक्कीस दिन
(ग) दशहरा/दिवाली/छठ	दिनांक-19.10.2015 से 19.11.2015 तक	बत्तीस दिन
	<b>कुल</b>	<b>साठ दिन</b>

3. इसके अतिरिक्त सरकार/संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में घोषित अवकाश लागू होंगे।

4. उपरोक्त सभी अवकाश की अवधि में विद्यालय एवं हॉस्टल पूर्णतः बन्द रहेगा।

ह०/-  
(मनोज कुमार)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-पि०व०/स्था०-15-103/2012-493 पटना, दिनांक- 24/2/15

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।